समक्ष माननीय न्यायाल राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल महोदय

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/392-9 निगरानी प्र0क0.................. 63

खालिद अमान आ. स्व. श्री फारूक अमान.

आयु वयस्क,

निवासी–ई–5, फेस–2,कहकंशा काम्पलेक्स,

बी.डी.ए. कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

श्रीमति शाहजहां अल्वी

पत्नि स्व.श्री शाहमत हुसैन अल्वी,

आयु लगभग 82 वर्ष,

निवासी–काशियाना अल्वी, करवला रोड,

भोपाल म0प्र0 .... प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त पुनरीक्षण आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त भोपाल द्वारा प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 44(1) म0प्र0भू0रा0स0 1959 के अंतर्गत प्रकरण **कमांक 31/अपील/2014–15** प्रकरण का शीर्षक **"शाहजहां अल्वी विरुद्ध खालिद अमान व एक अन्य"**में पारित अंतरिम **आदेश दिंनाक 08/09/2017** से दुखित एवं परिवेदित होकर ठोस तथ्यो एवं आधारो पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। उक्त पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिनांक 11–09–2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया ,तत्पश्चात दिंनाक 18/09/2017 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर, प्राप्ति दिनांक से निश्चित समय अवधि में उक्त पुनरीक्षण याचिका समयावधि में माननीय के समक्ष प्रस्तुत है:–

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य

1– यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त, भोपाल के फौती नामांतरण प्रकरण कमांक 81/अ–6/2012–2013 प्रकरण का शीर्षक **"श्रीमति शाहजहां अल्वी वि0 सर्वसाधारण"** में पारित आदेश दिनांक 10–02–2015 के विरूद्ध आधारहीन तथ्यों पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है जो वर्तमान मे विचाराधीन है । 2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/3929

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	